

16/2/26 पशावली पेढी में ली गई। उभयपक्ष  
को शर्तना पत्र पर सुना गया। शर्तों  
का अनुलोष अपने शर्तना पत्र में लाते।  
लाल सिंह पुत्र मवर सिंह के खिलाफ है  
जबकि स्थान आदेश 5/6/25 द्वारा अन्य  
सह खातेदार प्रभावित हो रहे हैं। अतः  
स्थगनादेश दिनांक 5/6/25 खातेदार लाल सिंह  
वल्फ मवर सिंह की हफ तक ला-  
फिसला बाद कर्कम किया जाता है  
व अन्य सह खातेदार के हिस्से की  
हफ तक खारिज किया जाता है। पशावली  
जैसा कि काम की जाका बाद तर्की  
व तर्कीव के कालिल कपल की  
जाली है आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर  
एवं उपसहायक अधिकारी  
कानपुर